②

टी0ए0 मिस केस सं0 05/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
2.10.19	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक लंका लागुरी, पिता– स्व0 विष्णु लागुरी, ग्राम– टोन्टो, थाना– टोन्टो, जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– टोन्टो, थाना– 695, खाता नं०– 36, प्लॉट नं०– 653 एवं 655, रकवा कमशः– 0.40 एकड एंव 0.23 एकड़, कुल रकवा– 0.63 एकड़ भूमि क्रेता हरदेव पिगुंवा, पिता– स्व0 बलराम पिंगुवा, ग्राम– रेगड़ाहातु, थाना– टोन्टो के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के दादा के नाम पर खतियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, टोन्टो का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– 66,दिनांक–. 16.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने एंव अन्य कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता, हरदेव पिगुंवा, पिता– स्व0 बलरराम पिंगुवा, ग्राम– रेगड़ाहातु, थाना–टोन्टो के पास 1,26,000.00/–(एक लाख छब्बीस हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों टोन्टो थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 3.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, टोन्टो एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता लंका लागुरी, पिता– स्व0 विष्णु लागुरी, ग्राम– टोन्टो, थाना– टोन्टो, क्रेता हरदेव पिगुंवा, पिता– स्व0 बलरराम पिंगुवा, ग्राम– रेगड़ाहातु, थाना–टोन्टो के पास 1,26,000.00/–(एक लाख छब्बीस हजार) रूपये मे मौजा– टोन्टो, थाना– 695, खाता नं०– 36, प्लॉट नं०– 653 एवं 655, रकवा कमशः– 0.40 एकड एंव 0.23 एकड़, कुल रकवा– 0.63 एकड़ जमीन को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित। (हस्ताक्षर) 2/10 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 2/10/19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner